



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 3907 वर्ष 2026

आशिक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं 4 अन्य

.....विरोधी पक्षकारगण

आवेदक के अधिवक्ता :

विरोधी पक्षकारगण के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. परिवादी की ओर से श्री कमल किशोर तिवारी तथा श्री अंकित त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 52 वर्ष 2026, अंतर्गत पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, 64(1), 333 बीएनएस (376, 452 आईपीसी), थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी में, उसे जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। जैसा कि स्वीकृत रूप से, पीड़िता आवेदक के संपर्क में थी। घटना की तिथि पर, आवेदक को पीड़िता द्वारा बुलाया गया, जब वह अपने घर पर अकेली थी, आवेदक वहां गया तथा कुछ समय पश्चात, पीड़िता की माता भी वहां आ गई और तत्पश्चात वे पीड़िता की माता द्वारा पकड़ लिये गये तथा पीड़िता की माता ने पीड़िता को डांटा एवं उसे थप्पड़ मारा, तत्पश्चात, गलत तथ्यों के आधार पर, प्रश्नगत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान, वादिनी तथा पीड़िता के बयान धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के अंतर्गत अंकित किये गये। वादिनी के बयान में, उसने कहा कि विवाह के बहाने आवेदक ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाये तथा पीड़िता के बयान में, उसने कहा कि वह आवेदक से लगातार बातचीत में थी किंतु जब यह तथ्य परिजनों की जानकारी में आया, तब उसने आवेदक का नंबर अवरुद्ध कर दिया। घटना की तिथि पर, आवेदक ने कॉल किया किंतु पीड़िता के मोबाइल का नेट बंद था, अतः वह कॉल नहीं उठा सकी, तत्पश्चात, आवेदक उसके घर आया तथा विवाह का आश्वासन देते हुए अभद्र कृत्य भी करने लगा और उसने शारीरिक संबंध भी बनाया, तत्पश्चात उसका बयान धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत भी अंकित किया गया, जिसमें, उसने कहा कि आवेदक उसके घर आया तथा उसकी माता के विषय में पूछा, उसने बताया कि उसकी माता अपने छोटे पुत्र के साथ कुछ सामान क्रय करने हेतु दुकान गई हैं, तब आवेदक ने उसे कमरे में खींच लिया तथा बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाये और पीड़िता ने अपनी माता को कॉल भी किया किंतु उसका मोबाइल उसके द्वारा छीनकर फेंक दिया गया तथा 5 से 10 मिनट पश्चात, माता वहां आ गई और उन्होंने घटना देखी तथा उन्होंने अपनी पुत्री को बचाने का प्रयास किया एवं आवेदक को पकड़ने का भी प्रयास किया किंतु वह भाग गया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि यह सहमति का मामला है किंतु जब पीड़िता की माता वहां पहुंचीं, तब कहानी गढ़ी गई। अभियोजन के मामले के अनुसार, आवेदक द्वारा शारीरिक संबंध बनाये गये किंतु पैथोलॉजी परीक्षण में, कोई शुक्राणु नहीं पाया गया। आवेदक दिनांक 07.03.2026 से जेल में है। आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। साक्ष्य तथा गवाहों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का अधिकारी है। जमानत पर रिहा किये जाने की दशा में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा परिवादी के अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथा कथन किया कि पीड़िता एक अवयस्क

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बालिका है तथा उसने स्पष्ट रूप से अभियोजन के कथन का समर्थन किया है, किंतु वे इस तथ्य पर विवाद नहीं करते कि अभियोजन के मामले के अनुसार, आवेदक द्वारा बलात्संग कारित किया गया किंतु पैथोलॉजी आख्या में, कोई शुक्राणु नहीं पाया गया।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के प्रतिपक्षी कथनों पर विचार करते हुए तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु एवं अन्य सुसंगत प्रलेखों, जिनमें पीड़िता सहित गवाहों के बयान सम्मिलित हैं, का अवलोकन करने पर, अभियोजन के मामले के अनुसार, आवेदक ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाये किंतु पैथोलॉजी आख्या में, कोई शुक्राणु नहीं पाया गया, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है।

8. जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक - **आशिक**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक निजी मुचलका तथा उतनी ही धनराशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :

(1) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जिसका वह अभियुक्त है, या संदिग्ध है, अथवा जिसके कारित किये जाने का वह संदिग्ध है।

(2) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

(3) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। इस शर्त का पालन न होने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(4) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए आई.पी.सी./269 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(5) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 सी.आर.पी.सी./84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तब विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 174-ए आई.पी.सी./209 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(6) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले के प्रारंभ, (2) आरोप विरचन; तथा (3) धारा 313 सी.आर.पी.सी./351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत बयान अंकित किये जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तब विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10 जून, 2026

हर्षिता

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।